



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102020-222219
CG-DL-E-03102020-222219

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3084]
No. 3084]

नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 3, 2020/आश्विन 11, 1942
NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 3, 2020/ASVINA 11, 1942

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(वित्तीय बाजार प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 2020

का.आ. 3464(अ).— केंद्रीय सरकार, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अध्यक्ष एवं सदस्यों की सेवा निबंधन तथा शर्तों) नियमावली, 1992 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 4 की उप-धारा 1(घ) और उप-धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्रीमती माधवी पुरी बुच की भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति की अवधि को 04.10.2020 के उपरांत एक वर्ष की अवधि के लिए अर्थात् 04.10.2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, इसमें से जो भी पहले हो, बढ़ाती है।

[फा.सं. 2/17/2019-आरई]

आनंद मोहन बजाज, अपर सचिव

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Economic Affairs)**

(FINANCIAL MARKET DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 2020

S.O. 3464(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1)(d) and Sub-Section (4) of Section 4 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with Rule 3 of the Securities and Exchange Board of India (Terms and Conditions of Service of Chairman and Members) Rules, 1992, the Central Government hereby extends the tenure of appointment of Smt. Madhabi Puri Buch as Whole-Time Member of the Securities and Exchange Board of India for a further period of one year beyond 04.10.2020 upto 04.10.2021 or until further orders, whichever is earlier.

[F. No. 2/17/2019-RE]

ANAND MOHAN BAJAJ, Addl. Secy.